झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

क्रिमिनल रिभीजन सं0–245 वर्ष 2018

मोतीबुर रहमान .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. नबीली बीबी .... विपक्षी पक्ष

उपस्थित : **माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– सुश्री रेणुका त्रिवेदी, अधिवक्ता।

विपक्षी पार्टी के लिए :– श्री विजय कुमार गुप्ता, ए0पी0पी0।

आदेश सं0 04 दिनांक 09वीं जुलाई, 2018

याचिकाकर्त्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रेणुका त्रिवेदी और राज्य के लिए उपस्थित विद्वान ए0पी0पी0 श्री विजय कुमार गुप्ता को सुना।

यह आवेदन विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पाकुड़ द्वारा भरण पोषण (परिवर्तन) वाद सं0 01/2015 में पारित दिनांक 19.01.2018 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा विपक्षी पक्ष सं0–2 द्वारा दंप्र0सं0 की धारा 127 के अधीन भरण पोषण की वृद्धि के लिए दाखिल की गई आवेदन को अनुमति दी गई थी।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्त्ता एक दैनिक मजदूरी कामगार है और बहुत कम राशि कमाता है और वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, जबकि विपक्षी पक्ष सं0–2 अच्छी राशि कमाती है, क्योंकि वह बीड़ी बांधने का काम करती है। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया है कि उपरोक्त तथ्य के मद्देनजर भरण पोषण की राशि को काफी कम किया जाना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि 17.04.2014 को कि0 मिसे0 केस सं0 34/2002 में एक आदेश पारित किया गया था जिसके द्वारा याचिकाकर्त्ता को विपक्षी पक्ष सं0–2 को 350/– रू0 प्रति माह एवं अपने बच्चे को 250/– रू0 प्रति माह भरण पोषण राशि भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन मूल्य वृद्धि के मद्देनजर, विपक्षी पक्ष सं0–2 के द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 127 के अधीन एक आवेदन दाखिल की गई थी जिसे 19.01.2018 के आदेश द्वारा अनुज्ञात किया गया था और भरण पोषण की राशि को विपक्षी पक्ष सं0–2 के लिए 1500/– रू0 प्रति माह और उसके बच्चे के लिए 1000/– रू0 प्रति माह वृद्धि किया गया था। यद्यपि याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य के बारे में बहुत जोर दिया है कि याचिकाकर्त्ता एक दैनिक मजदूरी कामगार है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता ने दूसरी शादी किया है और उक्त विवाह से उसके पाँच बच्चे हैं और वह उनका भरण पोषण कर रहा है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता का यह दलील कि वह एक दैनिक मजदूरी कामगार है और बहुत कम राशि कमाता है, विपक्षी पक्ष सं0–2 को भरण पोषण की राशि को भुगतान करने से बचने के लिए और उसको बहुत कम करने के लिए किया गया है।

ऐसी परिस्थितियों में, मैं दं0प्र0सं0 की धारा 127 के अधीन पारित किए गए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। यह आवेदन तद्नुसार, खारिज कर दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)

<u>नि–स्वीकरण–</u> ''यह कि हिन्दी भाषा में अनुदित निर्णय वादियों के सीमित उपयोग के लिए एवं अपनी भाषा में समझने के लिए है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन एवं कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए सही माना जाएगा।''